कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या:एमई–3/2021/1212 लखनऊ:दिनांक:–25 अप्रैल, 2021

आवश्यक सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या:–एम0ई0–3/2021/1206, दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के द्वारा विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित की गयी है कि कोविड–19 महामारी से ग्रसित रोगियो के समुचित चिकित्सा उपचार के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ/जालौन/शाहजहाँपुर/कन्नौज/आजमगढ़ के सीनियर रेजीडेण्ट एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नवनियुक्त नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टो को प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो, सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय, नोएडा तथा सुपर स्पेशिलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को मध्याह्न 12:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण कर लें।

अतः समस्त सीनियर/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टो को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय में **दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को मध्याह्न 12:00 बजे तक प्रत्येक दशा में** प्रस्तुत कर दें। यदि इसके उपरान्त भी आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया जाता है, तो आपके विरूद्ध महामारी अधिनियम–1897 के अन्तर्गत दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही उत्तर प्रदेश मेडिकल काउसिंल को आपका पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

महानिदेशक।